अधिकार और कर्तव्य

सन्तराम वत्स्य

अधिकार और कर्तव्य

सन्तराम वत्स्य

ज्ञान भारती
४/१४ रूपनगर दिल्ली-११०००७

प्रकाशक :
ज्ञान भारती
४/१४, रूपनगर, दिल्ली-११०००७
द्वारा प्रकाशित

प्रथम संस्करण : १९८५

मूल्य :

मुद्रक :
राज प्रिंटर्स
शाहदरा, दिल्ली-११००३२

ADHIKAR AUR KARTAVYA by Sant Ram Vatsya
[125-1-22-1284/G]

दो शब्द

श्री राम को जब सूचित किया गया कि आप को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा तो वे बोले कि केवल मुझे ही क्यों ? और भाइयों को क्यों नहीं।

तब उन्हें समझाया गया कि सब से बड़े पुत्र को ही युवराज बनाया जाता है। यही रघुकुल की परम्परा है।

तब श्रीराम बोले, कि रघुकुल में और तो सारी बातें अच्छी हैं पर केवल बड़े पुत्र को ही युवराज पद पर अभिषेक करने की बात उचित प्रतीत नहीं होती।

दूसरी ओर महाभारत में, जब श्री कृष्ण पाण्डवों के दूत बनकर दुर्योधन की सभा में गए और भाइयों के बीच युद्ध की संभावना को टालने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि केवल पांच गाँव पांण्डवों को दे दिये जाएं तो समझौता हो सकता है।

इस पर दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के सूई की नोक के बराबर जगह भी पाण्डवों को नहीं दूँगा।

जब समाज के घटक कर्त्तव्य-परायण होते हैं तो 'रामराज्य' आता है और जब अधिकारों के लिए झगड़ते हैं तो 'महाभारत' होता है।

हम उचित रूप से कर्तव्य पालन कर सकें, केवल इसीलिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कुछ भी अर्थ नहीं है।

इसी बात को इस पुस्तक में, सरल-सुबोध भाषा में समझाने का प्रयास रहा है।

—सन्तराम वत्स्य

विषय-सची

१
स्वतंत्रता के पहले
[५]

२
स्वतंत्रता के बाद
[११]

३
नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य
[२७]

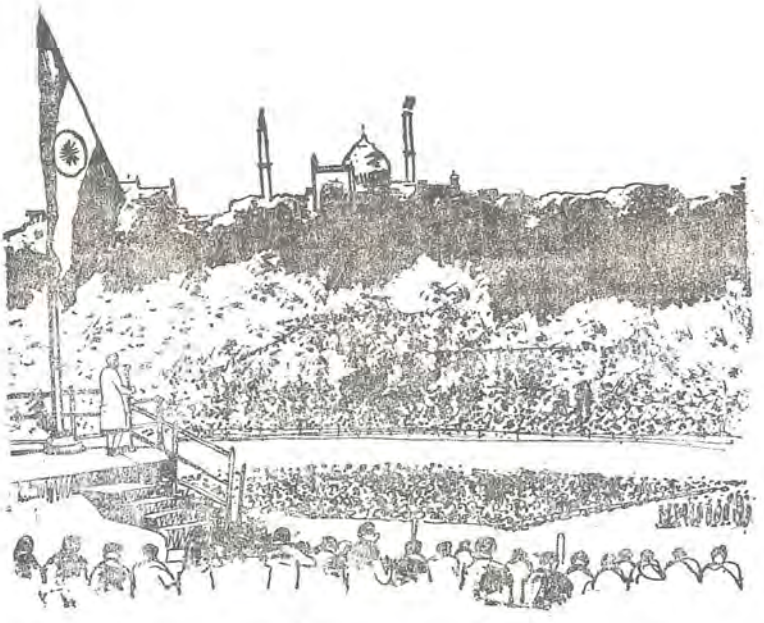

स्वतंत्रता के पहले

१५ अगस्त, १९४७ को हमारा प्यारा देश भारत स्वतंत्र हो गया। अब भी प्रतिवर्ष १५ अगस्त का दिन 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का बड़ा महत्त्व है। पर ज़रा सोचें तो मालूम पड़ेगा कि इस दिन को देखने के लिए बड़ा लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा है। अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार किया हुआ था। हमने उनसे लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता को लाने के लिए सौ-डेढ़ सौ साल लग गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक सारा भारत, जिसमें आज का पाकिस्तान और बंगलादेश भी सम्मिलित था, स्वतंत्रता की इस लड़ाई में जूझता रहा। हज़ारों देशभक्तों ने

अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञ में डाली। कितने घर-गांव इस लड़ाई में उजड़ गए! कितनी सुहागिनें विधवा हो गईं! कितने बच्चे अनाथ हो गए! कितनी माताओं के लाल, उनकी आंखों के सामने सूली पर चढ़ गए!

कैसा आतंक का राज्य था अंग्रेजों का! कितने भयानक दिन थे वे! कैसी डरावनी काली रातें थीं! कैसा स्वप्न था जो टूटता नहीं था! वह कालरात्रि कितनी लंबी थी!

वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। पर वे, जिनके कारण हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हुआ, उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि सच्चा भाग्यशाली वह नहीं है, जो किसी विशेष समय में, विशेष स्थान में या विशेष घर में पैदा हुआ। सच्चा भाग्यशाली वह है, जिसने अपने जीवन का एक-एक क्षण और अपने लहू का एक-एक कण देश-सेवा में, मानव-सेवा में या प्राणि-मात्र की सेवा में लगा दिया।

मेरे विचार में यहां इस बात पर विचार करना असंगत नहीं होगा कि परतंत्रता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है।

इसके लिए हमें अपने ही देश के इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे।

किस तरह चालाकी से मुट्ठी-भर अंग्रेज इस देश के शासक बन बैठे और फिर सदियों तक जमे रहे, यह इतिहास की एक विचित्र घटना है और हमारे लिए लज्जाजनक भी। फिर भी जो सच्चाई है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता।

यह ठीक है कि विदेशी सत्ता को उखाड़ने का प्रयत्न किसी न किसी रूप में शुरू से ही जारी रहा। अंग्रेजों से पूर्व जिन विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया था, वे भारत में ही रह

गए थे। किंतु अंग्रेज इस देश के नागरिक नहीं बन सके। अंग्रेज शासकों ने भारत की संपदा का घोर शोषण किया। यहां की दस्तकारियों का योजनापूर्वक विनाश किया। खेती-बाड़ी को तबाह कर दिया। हमारी पुरानी ग्राम पंचायत-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। देश में बेकारी और भुखमरी फैल गई। अकाल पड़ने लगे। वे मिट्टी के भाव भारत से कच्चे माल को विलायत ले जाते और वहां से वस्तुएं बनाकर ले आते और महंगे दामों पर भारतीयों को बेचते। कच्चे माल के बाहर चले जाने और देशी कारीगरों के बेकार हो जाने से, और फिर बाहर से आई वस्तुओं के मूल्य के रूप में भारत की संपत्ति विलायत पहुंचने लगी। हम इस लूट-खसोट से निर्धन-कंगाल होते गए और अंग्रेज धनी और मालामाल। हमारे देश की फौजों और साधनों का उपयोग अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में किया।

देश के राजे-रजवाड़े और बड़े जमींदार अंग्रेजों के पिट्ठू बन कर भारत की जनता के शोषण में और भी बढ़-चढ़कर भाग लेने लगे।

अंग्रेजों ने भारत को एक सूत्र में पिरोया, यह कहना पूर्ण सत्य नहीं है। उन्होंने अपनी जड़ें गहरी जमाने के लिए जो कुछ आवश्यक समझा, उतना ही किया। मैकाले ने यहां ऐसी शिक्षा-पद्धति चालू की जो दास-मनोवृत्ति के लोगों को आगे बढ़ाने लगी।

अंग्रेजों ने भारत में न तो आधुनिक उद्योगों को पनपने दिया और न ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को।

देश की जनता के मन में, लूट-खसोट मचाने वाले विदेशी शासकों के प्रति घृणा पैदा होनी स्वाभाविक थी। सन् १८५७

में अंग्रेजों के मनमाने अत्याचारों से दुखी होकर कई राजे-महाराजे और अंग्रेजों की फौजों के देशी सैनिक विद्रोह का झंडा लेकर उठ खड़े हुए। देश के कई भागों में देश-भक्तों की अंग्रेजों तथा उनके समर्थकों के साथ घमासान लड़ाइयां हुईं। दुर्भाग्य से, यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। इस सशस्त्र संघर्ष में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम जीनत महल, नाना फड़नवीस, छापामार योद्धा तांत्या टोपे तथा बिहार के वीर कुंवर सिंह ने अगुआई करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और इतिहास में अमर हो गए। देश पर मर मिटने वाले शहीद युगों तक हमें प्रेरणा देते रहेंगे।

अब तक ईस्ट इण्डिया कंपनी के हाथ में भारत के शासन की बागडोर थी। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया ने शासन स्वयं संभाल लिया।

अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया था अपने स्वार्थ के लिए और उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। इस अंग्रेजी के माध्यम से ही देश में बाबुओं की एक फौज तैयार हो गई जो अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को भूलकर विदेशी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को बड़ा मानने लगी। उसी शिक्षा के कारण आज भी, स्वतंत्रता-प्राप्ति के सैंतीस वर्षों के बाद भी अंग्रेजी और अंग्रेजियत हमारे देश के एक विशेष वर्ग का पिण्ड नहीं छोड़ रही है। आज भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी और दूसरी प्रादेशिक भाषाएं अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। फिर भी उस समय अंग्रेजी भाषा के द्वारा पश्चिमी देशों की विभिन्न आधुनिक विचारधाराएं भारतीयों तक पहुंचीं। यद्यपि स्वतंत्रता की भूख जन्मसिद्ध है, फिर भी पश्चिमी देशों की उन्नति और जागृति से हमें भी उन्नत और स्वतंत्र होने की प्रेरणा मिली।

समाज-सुधार के कई आंदोलन हमारे देश में शुरू हुए। बंगाल के राजा राममोहन राय, गुजरात के स्वामी दयानंद ने इनमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। राजनीतिक जागृति लाने वालों में दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक तथा सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नाम महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय संस्कृति का देश-विदेश में डंका बजाने वालों में स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ आगे आए।

१८८५ ई० में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि प्रारंभ में इसका स्वरूप दूसरा था, पर देश को पूर्ण स्वतंत्रता का मंत्र देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' इस नारे ने कांग्रेस को सही दिशा दी। १९१५ में महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति में प्रवेश

किया और देश के स्वतंत्र होने तक राजनीति में उनका प्रमुख स्थान रहा। गांधी जी के सहयोगियों में सर्वश्री बल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, राजेंद्रप्रसाद, राजगोपालाचार्य, आचार्य कृपलानी, मौलाना अबुलकलाम आजाद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह तथा अहिंसा के सहारे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी तो दूसरी ओर सशस्त्र क्रांति के प्रयत्न भी होते रहे। वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तथा उनके साथियों ने सशस्त्र क्रांति की ज्वाला को बुझने नहीं दिया। महात्मा गांधी ने १९४२ को 'भारत छोड़ो' का नारा दिया। जननायक जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने उसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उधर श्री मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान देश के बंटवारे की मांग कर रहे थे। यह मांग अंग्रेजों की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति की ही देन थी। इसकी समाप्ति भारत भूमि के बंटवारे मात्र से पूरी नहीं हुई। सांप्रदायिक दंगे, लाखों का बेघर होना और इधर से उधर जाना और दूसरी अनेक समस्याओं का सामना भारत और पाकिस्तान को करना पड़ा।

पश्चिमी पाकिस्तान से आए करोड़ों बेघर-बार विस्थापितों को बसाना बड़ी भारी समस्या थी। भारत की छः सौ के लग-भग छोटी-बड़ी रियासतों को शेष देश के साथ मिलाना था। देश के नव-निर्माण का कार्य सामने था।

इन बड़ी-बड़ी समस्याओं के साथ देश को वह स्वतंत्रता मिली थी, जिसकी बड़ी देर से प्रतीक्षा थी।

स्वतंत्रता के बाद

क्या स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ हमारा कर्त्तव्य पूरा हो गया ? क्या हमें कुछ करना बाकी नहीं रहा ? क्या हमने स्वतंत्रता इस लिए प्राप्त की थी कि हमें कुछ करना-धरना न पड़े और हम टांगें पसारकर हाथ-पर-हाथ धरकर आराम करें।

स्वतंत्रता क्या अल्लादीन का चिराग है, जो हमारी सुख-सुविधा की सारी चीजें हमारे सामने जुटा देगा !

क्या स्वतंत्रता का केवल इतना ही अर्थ है कि विदेशियों का शासन समाप्त हो गया और अपने देश के लोगों के हाथ में शासन आ गया। यह तो केवल राजनैतिक स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ है कि अब इस देश के भाग्य-विधाता इसी देश के नागरिक हैं, विदेशी नहीं। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि अब आप अपने देश के पिछड़ेपन के लिए विदेशी सत्ता को नहीं कोस सकते। अब आप स्वतंत्र हैं स्वयं फैसला करने के लिए कि देश में किस तरह के कानून बनाए जाएं ? ग्राम-सुधार की और समाज-सुधार की सारी योजनाएं आप स्वयं बना सकते हैं। अब देश की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। देश में भूमि-सुधार और कृषि-सुधार आपकी अपनी सरकार करेगी। देशवासियों की तरह-तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करने का काम भी यही सरकार करेगी।

इस देश में जो कुरीतियां हैं, जैसे ब्याह-शादी में लड़की वालों से मांग कर दहेज लेना, मुंह मांगा या मनचाहा दहेज न मिलने पर बहू को सताना, छोटी उमर में ही लड़के-लड़की की शादी कर देना, शराब पीने की लत—घर में पत्नी और बच्चे भले ही भूखे रहें, शराबी शराब जरूर पिएगा, जुआरी जुआ जरूर खेलेगा, फिर अपने समाज के कुछ भाइयों से छुआ-छूत का बर्ताव करना इन और इन जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा।

स्वतंत्रता दो-धारी तलवार है

'स्वतंत्रता' बड़ा खतरनाक उपहार और हथियार है। यह दो-धारी तलवार है। अगर हमें इसका सही उपयोग करना न आए तो यह हमें ही नष्ट कर देगी। इतिहास ने हमारे सामने एक बड़ी भारी चुनौती रख दी है। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि पिछले सैंतीस वर्षों में हमने स्वतंत्रता का जिस तरह और जैसा उपयोग किया है, वह ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। हमें स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के पिछले वर्षों के इतिहास को देखकर सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं? इस दिशा में चलकर हम अंत में कहां पहुंचेंगे, यह भी सोचना होगा। आखिर कब तक हम यह कहते-सुनते रहेंगे कि विदेशी दासता के कारण ये बुराइयां पैदा हुई हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जन्मे व्यक्ति पूर्ण युवा हो गए हैं। और यह कहना भी अपने-आप को धोखा देना है कि सैंतीस वर्षों का समय थोड़ा है। हमारे बाद जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए हैं, उनमें से कुछ ने हमसे बहुत अधिक उन्नति की है। जर्मनी, जापानऔर ब्रिटेन जैसे राष्ट्र जो दूसरे विश्वयुद्ध में बमबारी से तबाह हो गए थे, फिर से सिर ऊंचा

उठाए और सीना ताने खड़े हैं। उन्होंने न केवल वह पा लिया है, जो युद्ध में नष्ट हो गया था, बल्कि नया भी बहुत-कुछ बना लिया है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ नहीं बनाया। बहुत-कुछ बनाया—बड़े-बड़े बांध बनाए, बड़े-बडे उद्योग चालू किए, खेती बाड़ी में उन्नति की, बड़ी-बड़ी इमारतें बनाईं, विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाईं, स्कूल-कालेज खोले। और भी बहुत-कुछ किया। परंतु देश में बेरोजगारों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती गई, जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में हम सफल नहीं हुए। देश में अब भी अनपढ़ों की संख्या चौंका देने वाली है। जो पहले ही धनी थे, वे और बड़े धनी बन गए, जो निर्धन थे, वे उसी अनुपात में और भी निर्धन होते चले गए। गरीब का शोषण बंद नहीं हुआ। श्रम करने वालों का समाज में मान नहीं बढ़ा।

और सबसे बुरी बात, सबसे बड़ी दुर्घटना यह हुई कि देशवासियों का चरित्र ऊंचा नहीं उठा। कुछ नीचे जरूर गिरा। भ्रष्टाचार दिनों-दिन बढ़ता गया। घूस-खोरी, रिश्वत, भाई-भतीजावाद और जातिवाद जैसी बुराइयां, कूड़े के ढेर पर उगी बेल की तरह बढ़ती गईं। इसमें छोटे-बड़े सभी बुरी तरह फंस गए। इन बुराइयों के कारण जो अच्छे काम हुए थे, उनका भी पूरा-पूरा लाभ नहीं मिला। बड़े-बड़े सरकारी प्रतिष्ठान अव्यवस्था के नमूने बन गए। चुनाव हारे हुए नेताओं को सरकारी प्रतिष्ठानों में ऊंचे पदों पर बिठा दिया गया। सरकारी कारखानों के घाटे को पूरा करने में कर-दाताओं द्वारा उगाहे गए पैसे का दुरुपयोग हुआ। कर बढ़ते गए, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और महंगाई भी बढ़ती गई। साधारण जनता के कष्ट भी बढ़ते गए। आंदोलन भी बढ़ते गए। हड़तालें भी बढ़ती गईं। अनुशासनहीनता भी

बढ़ती गई। अपराध भी बढ़ते गए। हत्या, लूट-पाट, राहजनी छीना-झपटी, गोली कांड, लाठी चार्ज और अश्रु गैस छोड़ने जैसी घटनाएं प्रतिदिन होने लगीं। शांति प्रिय, कानून को मानने वाले और ईमानदार लोगों का जीवन दूभर होता गया। समाज के शत्रु, कानून को तिनके की तरह तोड़ने वाले और भ्रष्ट लोग मौज मारने लगे। मेरे विचार में, किसी भी शासन को परखने की यह कसौटी हो सकती है कि उसमें कौन-से लोग सुखी और सुरक्षित हैं—कानून को मानने वाले या कानून को तोड़ने वाले। निर्भय कौन-से लोग हैं, सदाचारी या दुराचारी।

यह सब क्यों हुआ ? इसके कारणों की खोज होनी चाहिए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सारे देश में इन बुराइयों के बढ़ने का क्या कारण है ?

गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है :

समाज में अच्छे समझे जाने वाले लोग जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। समाज के अगुआ लोग जिसे ठीक समझते हैं, जनता उसीकी नकल करती है।

हमारे नेता, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए जनता को उत्साहित-प्रेरित करने के लिए कहते रहते थे कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इस देश में दूध-घी की नदियां बहने लगेंगी। हमारे सुनहरे दिन फिर से लौट आएंगे। देश में जितनी बुराइयां हैं, उन सबका एकमात्र कारण विदेशी शासन की लूट-खसोट है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी नेताओं ने जनता को यही बताया कि उन्हें ये सुख-सुविधाएं मिलेंगी, और वे सुख-सुविधाएं मिलेंगी। हमारी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं।। व्यक्तिगत सुख के साधन जुटाने में होड़ लग गई। इस होड़ में हम यह

भूल ही गए कि देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्त्तव्य है। इस आपा-धापी में, अच्छे आचरण की बात करना, ईमानदारी की बात करना मूर्खता हो गई। नेता लोग गांधी जी का नाम दोहराते रहे, उनके आदर्शों की बातें लोगों को बताते रहे, किंतु अपने लिए उन्होंने उन आदर्शों के अनुसार चलना अनावश्यक समझा। कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में देश ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, वह खादी की टोपी, जिसे गांधी टोपी कहते हैं वह स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस जनों के भ्रष्टाचार और स्वार्थ-पूर्ण आचरण के कारण, भ्रष्टाचार की निशानी समझी जाने लगी।

राजनेताओं का भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, कोटा-परमिट की बंदर बांट, कथन-करनी में अंतर, चुनावों में भ्रष्टाचार, चुनाव जीतने के बाद जनता की उपेक्षा, झूठे वायदे आदि ऐसी बातें हैं, जिनके कारण नेताओं पर जनता को विश्वास नहीं रहा। अयोग्य लोग जोड़-तोड़ से पार्टी का टिकट पाकर, भ्रष्टाचार से चुनाव जीतकर और सांठ-गांठ से ऊंची कुर्सी पर पहुंचकर नौकर-शाही के हाथों के खिलौने बन गए। पुलिस राज पहले ही की तरह कायम रहा। कुछ भी तो नहीं बदला। उपन्यास सम्राट् मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में 'जान की जगह गोविंद बैठ गया' सत्ता बदली, व्यवस्था नहीं।

मैंने कहीं पढ़ा था कि 'बकरे को कहा जाय कि तुम्हें जिस छुरी से काटा जा रहा है, यह विलायत की बनी हुई नहीं, स्वदेशी है—अलीगढ़ में बनी है, तो इससे कटने वाले को क्या फर्क पड़ता है।'

आज भी हम सभी समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं : राज्यों को और अधिक अधिकार चाहिए। इसके लिए वे केंद्रीय सरकार के साथ बहस करते रहते हैं। छात्र-आंदोलन में बड़े अनोखे-

अनोखे अधिकारों की मांग की जाती है। जैसे हमें सिनेमा के टिकट कम दामों में मिलने चाहिए। महाविद्यालय या विद्यालय में हम चाहे साल-भर अनुपस्थित रहें, हमें परीक्षा में बैठने का अधिकार चाहिए, हमें नकल करने का अधिकार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए कि जिस प्रधानाचार्य या अध्यापक को हम पसंद न करें, उसे हटा दिया जाय। हम बसों-गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करें तो हमें कुछ न कहा जाय।

कामगरों-मजदूरों को भी अधिकार चाहिए। हड़ताल का अधिकार, मनमाने तरीके से काम करने का अधिकार, तोड़-फोड़ का अधिकार, काम पर जाने वालों को जबर्दस्ती रोकने का अधिकार, कम उत्पादन करके अधिक वेतन और बोनस की मांग करने का अधिकार।

पूंजीपति-उद्योगपति को भी अधिकार चाहिए : मनचाहा मुनाफा कमाने का अधिकार, कामगरों को कम सुविधाएं, कम वेतन और कम बोनस देकर अधिक काम लेने का अधिकार।

इस मामले में छोटे व्यापारी के पास काम करने वालों की हालत सबसे खराब है। एक तो ये कर्मचारी संगठित नहीं हैं। दूसरे, इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियुक्त इंस्पेक्टरों की मालिकों के साथ मिली-भगत के कारण, इनसे अधिक घंटे काम लिया जाता है। ओवर टाइम भी इन्हें नहीं मिलता। छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं या कम मिलती हैं। जब चाहें, लाला जी इन्हें नौकरी से हटा देते हैं।

खाने की चीजों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, मसालों में मिलावट। आप चाहे कितने ही चतुर हों, मिलावट करने वालों की ठगी से बच नहीं सकते।

यह तो कुछ उदाहरण हैं। नमूने-भर हैं। इनसे आप

अनुमान लगा सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है : "यदि धन गया तो कुछ नहीं गया। यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र गया तो सब-कुछ गया।"

सबसे बड़ी भूल हुई 'स्वतंत्रता' का अर्थ समझने में। 'स्वतंत्रता' का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ हमें अच्छा न लगे, उससे स्वतंत्रता। जैसे कठिन परिश्रम न करने की स्वतंत्रता, अनुशासन-हीनता की स्वतंत्रता, कर्त्तव्य-पालन न करने की स्वतंत्रता, आत्म-बलिदान न करने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता का ठीक अर्थ नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसी स्वतंत्रता ज्यादा दिन टिकने वाली भी नहीं है। यह स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता की शत्रु है।

अधिकार ! अधिकार !! अधिकार !!!

आज चारों ओर से यही आवाज सुनाई देती है। अधिकारों की मांग, अधिकारों में बढ़ोतरी और अधिकारों की सुरक्षा। बस, यही नारा सब ओर उठ रहा है। क्या यह संभव है ? क्या असीम अधिकार हो सकते हैं ? क्या कर्त्तव्य के बिना अधिकार हो सकते हैं ? नहीं हो सकते। कर्त्तव्य के बिना अधिकार खरगोश के सींग हैं।

एक भारी भरकम बुढ़िया सामान से भरे थैले लिए सड़क के बीचों-बीच चल रही थी। वह यातायात पुलिस के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। इस तरह सड़क के नियमों का उल्लंघन करके चलने से उसकी जान को भी कम खतरा नहीं था। जब उसे बताया गया कि पैदल चलने वालों के लिए अलग पटरी है और उसे पटरी पर ही चलना चाहिए तो वह तुनककर बोली—'जहां

मेरा जी चाहेगा, मैं तो वहीं चलूंगी । तुम रोक-टोक करने वाले कौन हो ! अब हम स्वतंत्र हैं ।"

बेचारी बुढ़िया की समझ में यह नहीं आया कि यदि पैदल चलने वालों को सड़क के बीचों-बीच चलने की आजादी है तो सड़क पर चलने वाली सवारियों—मोटर, कार, तांगा—को भी पटरी पर चलने की आजादी होनी चाहिए । और इस तरह की आजादी के परिणामस्वरूप सड़क पर अजीब हालत हो जाएगी । हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और हर सवारी दूसरी सवारी के रास्ते की रुकावट बन जायेंगे । किसीको रास्ता नहीं मिलेगा, दुर्घटनाओं को रोकना असंभव हो जाएगा और कोई समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा ।

इन दिनों उस बुढ़िया की तरह, आजादी के इन दीवानों के कारण दुनिया में एक खतरा पैदा हो गया है । और यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए विवश करता है कि नियम-कानून का मतलब क्या है ?

नियम और कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि सबकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, और हर किसीकी आजादी को, उसके ही हित में थोड़ा-सा घटा दिया जाय । यहां 'घटा दिया जाय' शब्द का प्रयोग यद्यपि ठीक नहीं है । दर्जी कपड़े को सीने से पहले काटता है । काटने से कपड़े का कुछ अंश छोटी कतरनों के रूप में बेकार चला जाता है । पर जैसे सही नाप का कपड़ा सीने के लिए यह आवश्यक है, वैसे ही सबकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भी, उसमें कुछ कांट-छांट करना आवश्यक है । नागरिकों की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता तभी बन सकती है, जब सामाजिक व्यवस्था का पालन किया जाय ।

आजादी आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है । यह सामाजिक

समझौता है । स्वार्थों का समझौता है । व्यक्तिगत आजादी की सीमा वहीं तक है जहां दूसरों की आजादी शुरू होती है । जहां दूसरे की आजादी में रुकावट नहीं पड़ती है, वहां मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं । और ऐसी बहुत-सी बातें हो सकती हैं । अपने भोजन, वस्त्रों, सोने-जगने की आदतों आदि के बारे में हम स्वतंत्र हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद आप अपने घर पर भी लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते । कारण स्पष्ट है । लाउड स्पीकर की आवाज आपके घर की सीमा में ही नहीं रहेगी । वह पड़ोसियों की नींद को भी खराब करेगी । बस, जहां आपकी आजादी ने दूसरे की आजादी में दखल दिया, आपकी आजादी समाप्त । हमारे पास-पड़ौस में सैकड़ों लोग रहते हैं और मेरी आज़ादी उनकी आज़ादी के साथ ही रह सकती है ।

यदि मैं किसी एकांत जंगल में, किसी निर्जन पहाड़ की चोटी पर या उजाड़ मरुभूमि में रहता हूं तो वहां रोक-टोक करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा । वहां मैं मनमाना जीवन बिता सकता हूं । वहां मुझ पर कोई नियम लागू नहीं होगा । वहां सड़क पर चलने के नियम मुझ पर लागू नहीं होंगे । वहां पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा भी मुझे नहीं करनी पड़ेगी । परंतु जो लोग समाज में रहते हैं, उन्हें समाज के, शासन के नियमों को मानना ही होगा और यह उन्हीं के हित में होगा ।

बिना टिकट यात्रा करना नियम-विरुद्ध है । अपराध है । यदि कोई भी बिना टिकट यात्रा न करे तो रेल-विभाग को अच्छी आय हो सकती है । उस आय को रेल विभाग अधिक रेलें चलाने, यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने, नये रेल-मार्ग आदि बनाने में खर्च करेगा । इससे रेल में यात्रा करना बहुत सुविधा पूर्ण हो सकता है । पर जिन लोगों का सोचने का ढंग तत्काल के

अपने स्वार्थ तक सीमित है, उन्हें कौन समझाए ! वे मान लेते हैं कि इतने लोग टिकट लेते हैं, यदि मैं न भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा । बस, सोचने का यह ढंग ही सारी बीमारी की जड़ है ।

मैं समझता हूं कि रेल विभाग भी यात्रियों के साथ न्याय नहीं करता । वह यह जिम्मेदारी नहीं लेता कि जिन लोगों ने टिकट खरीदा है, उन्हें बैठने को जगह मिल जाय ; बिना टिकट यात्रा करने वालों को टिकट चैकर घूस लेकर छोड़ देते हैं । यह भी किसी से छिपा नहीं है कि रेलों और रेल-यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो पुलिस तैनात रहती है, वह रेल-संपत्ति को कितनी हानि पहुंचाती है ।

सरकार अभी तक देशवासियों को इतना भी शिक्षित नहीं कर सकी कि सरकारी संपत्ति, उनकी अपनी संपत्ति है ।

यह कितनी लज्जा की बात है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे बिजली के बल्ब चुरा लिए जाते हैं । सार्वजनिक नलों की पीतल की टोंटियां निकाल ली जाती हैं । इतना ही नहीं, बड़े नगरों में, भूमिगत नालियों के बड़े सुराखों पर जो लोहे के ढक्कन लगे होते हैं, चोर उन्हें भी चुरा ले जाते हैं । वे अपने तुच्छ लाभ के लिए दूसरे नागरिकों की जान के लिए खतरा पैदा कर देते हैं । विशेष रूप से बरसात के मौसम में इन बड़े खुले सुराखों के पानी से ढके होने के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं ।

ये चोर जो न करें, वही थोड़ा । टेलीफोन के तार चुराने की खबरें समाचार पत्रों में प्रायः छपती रहती हैं । उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी के तरीके भी निकाल लिए गए हैं । शाम को बिजली के तारों से एक खटका जोड़ दिया जाता है और सवेरे हटा लिया जाता है । इस काम में कोई इक्का-दुक्का आदमी नहीं, गांव-भर के लोग भाग लेते हैं । बड़े-बड़े कारखाने वाले भी

बिजली (पावर) की चोरी में पकड़े गए हैं।

हमारे ऋषि-मुनियों ने कर्तव्य-पालन पर बहुत जोर दिया है। नीतिकारों ने भी कर्तव्य-पालन का महत्त्व समझाया था। उन्होंने कहा था—कुल के लिए एक को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे। गांव के लिए कुल को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे और जनपद के लिए गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे। पर हमने तो इससे उल्टा ही करना शुरू कर दिया है। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नकली दवाइयां बनाते हैं, फिर कोई मरता है तो मरे, हमें इसकी चिंता नहीं। मसालों में, घी-तेल में भी खूब मिलावट होती है। कम तोलना, महंगा बेचना, चोर बाजारी आज बहुत साधारण बात हो गई है।

हमारे धर्म-ग्रंथों में कर्तव्य और धर्म एक-दूसरे के पर्याय-वाची शब्द हैं। जो कर्तव्य है, वही धर्म है और जो अकर्तव्य है, वही अधर्म है। हमारे धर्म-ग्रंथों में कर्तव्य-पालन का महत्त्व बार-बार समझाया गया है। वहां 'अधिकार' शब्द जो आज सब ओर से सुनने को मिल रहा है, संभवतः आपको ढूंढे भी न मिले। बल्कि गीता में तो भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को यहां तक कह दिया कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है। उसके फल का नहीं।

वास्तव में कर्तव्य और अधिकार आपस में वैसे ही जुड़े हुए हैं, जैसे सिक्के के दोनों पहलू। कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों की बात करना न केवल स्वार्थपूर्ण है, मूर्खतापूर्ण भी है। जो कर्तव्य-पालन करता है, उसे अधिकार अपने-आप प्राप्त हो जाते हैं। हमें अधिकार मिले ही इसलिए हैं कि हम अपने कर्तव्यों का ठीक से, बिना रुकावट के पालन कर सकें। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लें।

हमें इक्कीस वर्ष के पुरुष और स्त्री को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। इस अधिकार के द्वारा हम अपनी पसंद के, योग्य, जन-सेवक, ईमानदार व्यक्ति को चुन सकते हैं। फिर चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला-परिषद् का और चाहे विधान सभा या लोकसभा का।

अब यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि जिस किसीके चुनाव में हमारा वोट डलना हो, हम वोट डालने जाएं और वोट डालने से पहले सोचें कि दो या तीन जितने लोग चुनाव में उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे योग्य, ईमानदार और समाज-सेवा करने वाला कौन-सा है ? यहां एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वह यह कि हमारे देश में जो प्रजातंत्र की शासन-पद्धति है, उसमें जिस राजनीतिक पार्टी के सदस्य अधिक संख्या में चुने जाएंगे, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए जहां व्यक्ति को देखना-परखना जरूरी है, वहां पार्टी को देखना भी जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा हो, उसे पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य करना होता है। इसलिए जो पार्टी प्रजातंत्र में पक्का विश्वास रखती हो, हृदय से प्रजातंत्र को चाहती हो, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए कमर कसे हो और संविधान का सम्मान करती हो, उसे ही अपना समर्थन देना चाहिए। यों 'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' वाली भी कुछ पार्टियां हैं। वे बात प्रजातंत्र की करती हैं, किंतु प्रजातंत्र में उनका विश्वास नहीं है। ऐसी पार्टियां भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िये जैसी ही हैं।

हमारे देश में एक नई किस्म का राजनैतिक भ्रष्टाचार पिछले वर्षों में पनपा है। और वह है 'आया राम—गया राम'। आज इस पार्टी में हैं। यहां मंत्री का पद नहीं मिला, स्वार्थ

सिद्ध नहीं हुआ तो कल दूसरी पार्टी में चले गए और परसों तीसरी में। ऐसे स्वार्थी, सिद्धांतहीन राजनीतिज्ञों के कारण प्रजातंत्र को बड़ी हानि पहुंची है। मतभेद हो सकते हैं। उन्हें आपस में मिल-बैठकर निपटाना चाहिए। बात सिद्धांत की लड़ाई तक पहुंच जाय और पार्टी के भीतर उसका हल न दिखाई दे तो पार्टी को छोड़ा भी जा सकता है। परंतु सिद्धांत की बात करने वाले ऐसे लोगों को इस सिद्धांत को भी याद रखना चाहिए कि जिस पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा और जीता, उस पार्टी को छोड़ने पर, उस पद को भी छोड़कर, दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। 'मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू' यह सिद्धांतहीनता है। अवसरवादिता है। लाभ और लोभ की राजनीति है।

राजनीतिज्ञों के इस तरह के आचरण तथा झगड़ों के कारण ही समाज और शिक्षा संस्थाओं में भी अनुशासनहीनता और उद्दंडता की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ रही हैं।

अब सरकार इस संबंध में भी कोई कानून बनाने वाली है। बनाना ही चाहिए।

वोट देते समय केवल नारों के धोखे में न आएं। नारे तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। भोली-भाली जनता को अनेक बार नारों से फुसलाया गया है। 'कभी गरीबी हटाओ' का नारा तो कभी कोई दूसरा। कभी भूमि-सुधार तो कभी रोजगार। वोट देने से पहले खूब सोचना-समझना चाहिए। पर हमारे देश में विशेष रूप से गांवों में, बड़ी संख्या में लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। वे राजनीति की बारीक बातों को प्रायः नहीं समझ पाते। सरकार, संविधान और कानून की उन्हें जानकारी नहीं होती। ऐसी हालत में गांव के ही कुछ चालाक लोग उन्हें बहकाने में सफल

हो जाते हैं। वे कभी तो जात-बिरादरी का सवाल खड़ा करके अयोग्य तथा भ्रष्ट उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की सलाह देते हैं और कभी धर्म-संप्रदाय की बात उठाकर। यह उचित नहीं है।

कई जगह धनी उम्मीदवार अपने पैसे के जोर से भी वोट डालने वालों को प्रभावित करते हैं। वे उन्हें खिलाते- पिलाते हैं। कई नकद भी दे देते हैं। जात-बिरादरी के नाम पर कसमें खिलाना, गंगाजली उठवाकर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए वचनबद्ध करा लेना, जाली वोट डलवाना आदि कितने ही अनुचित कार्य करवाए जाते हैं। ये खबरें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं कि इतने लोग जाली वोट डालते हुए पकड़े गए।

कई बार तो किसी टोले का कोई अगुआ व्यक्ति उम्मीदवार से घूस खा लेता है और अपने टोले के सारे व्यक्तियों को उस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करता है। भोले-भाले लोग चालाक लोगों के बहकावे में आकर, वैसा ही कर बैठते हैं।

वोट डालने से पहले आपको नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

१. यह उम्मीदवार जिस पार्टी का है, वह पार्टी कैसी है ? क्या वह प्रजातंत्र में विश्वास रखती है ?

२. क्या उस पार्टी का अब तक का काम ठीक रहा है ?

३. क्या यह पार्टी 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चलती है या देश की उन्नति के लिए काम करती है ?

४. पार्टी के नेता कैसे हैं ? स्वार्थी, कुर्सियों के लिए झगड़ने वाले या त्यागी और कुर्सी के बिना भी जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले।

५. जो व्यक्ति उम्मीदवार है, उसका चरित्र कैसा है ? क्या वह पढ़ा-लिखा और ईमानदार है ? क्या वह जिस इलाके से उम्मीदवार है, उस इलाके की समस्याओं को समझता है ? क्या उस इलाके की समस्याओं को सुलझाने में उसकी रुचि है ?

प्रायः देखा गया है कि जो लोग पैसे के बल-बूते से चुनाव जीतते हैं, वे चुनाव जीतकर अनुचित उपायों से पैसे बटोरने में लग जाते हैं। वे मतदाताओं को स्पष्ट कहते देखे गए हैं कि मैंने चांदी के जूते से वोट लिए हैं।

भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और जनता को फुसलाने बहकाने के लिए हर बार कोई नया उपाय ढूंढ लेते हैं। वे समझते हैं कि साधारण जनता मूर्ख है। उसे बार-बार बहकाया जा सकता है। एक छोटी-सी कहानी याद आ रही है।

एक शेर के पांव में कांटा चुभ गया। उससे चला-फिरा नहीं जाता था। पैर सूजकर भारी हो गया था। वह दूसरे जानवरों का पीछा करने और उन्हें मार खाने में असमर्थ था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था।

उसका मंत्री था चालाक गीदड़। उसने गीदड़ से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। भोजन की कुछ व्यवस्था करो।

गीदड़ ने कहा कि आप निश्चिंत रहें। अभी किसी जानवर को घेरकर लाता हूं। वह एक गधे के पास पहुंचा और उससे कहा कि मैं शेर से तुम्हारी मित्रता करवा देता हूं। शेर से मित्रता हो जाएगी तो फिर चीते, भेड़िये आदि तुम्हारी तरफ, आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे और तुम भी जंगल में शेर की तरह निडर होकर घूम सकोगे।

बेचारा गधा गीदड़ की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गया।

वह गीदड़ के साथ चलकर शेर के पास पहुंचा। शेर कई दिनों का भूखा बैठा था, वह गधे को दबोचने के लिए उछला पर पैर धोखा दे गया और गधा दुलत्ती झाड़कर भाग खड़ा हुआ। शेर फिर भूखे का भूखा रह गया। गीदड़ ने शेर को समझाया कि आपको ऐसी उतावली नहीं करनी चाहिए थी। पर शेर तो भूख से मरा जा रहा था। मरता क्या न करता। उतावला सो बावला।

शेर ने गीदड़ से कहा कि मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। कुछ और उपाय करो।

गीदड़ बोला, फिर उसी गधे को घेर-घारकर लाता हूं। आप जरा धैर्य रखें। जरा मौका देखकर हमला करें।

गीदड़ दोबारा गधे के पास पहुंचा और बोला, अरे, तुम तो यों ही डर गए। शेर तो तुमसे गले मिलने के लिए लपके थे। तुमने पता नहीं, क्या समझ लिया।

गधा फिर धोखा खा गया। चालाक लोगों के जाल से बच निकलना आसान काम नहीं है। गीदड़ उसे फुसलाकर शेर के पास ले गया और शेर ने मौका पाकर उसे मार डाला और अपना भोजन बना लिया।

नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य

अधिकारों और कर्तव्यों की बात करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि नागरिक किसे कहते हैं :

वह व्यक्ति भारत का नागरिक है :

१. जो भारत में पैदा हुआ है ।

२. जिसके माता-पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो ।

३. जो संविधान लागू होने से तुरंत पहले कम से कम पांच वर्षों तक भारत का निवासी रह चुका है ।

यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश में जा बसता है और वहां की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा ।

संसद् को नागरिकता-संबंधी नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है ।

हमारा संविधान सारे भारत के लिए इकहरी नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है ।

इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है । ऐसा नहीं है कि कोई हिमाचल प्रदेश का नागरिक है और कोई हरियाणा प्रदेश का, कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है और कोई मध्य प्रदेश का कोई असम प्रदेश का नागरिक है और कोई केरल प्रदेश का ।

हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, दूसरे प्रजातंत्रात्मक देशों के नागरिकों की तरह अनेक अधिकार मिले हुए हैं और इन अधिकारों के बदले में उसके अनेक कर्तव्य भी हैं। अगले पृष्ठों में हम अधिकारों और कर्तव्यों तथा उनके आपसी संबंध की चर्चा करेंगे।

नागरिकों के अधिकार

अधिकार एक तरह से मनुष्यों की वे मांगें हैं जो उनकी उन्नति के लिए जरूरी हैं। सरकार मानव-मात्र के कल्याण के लिए उनको स्वीकार कर लेती है। परंतु यहां ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारों का जन्म कर्तव्यों के पालन करने से होता है। इसलिए अपने कर्तव्यों के पालन और अधिकारों की मांग पर मनुष्य को एक जैसा ज़ोर देना चाहिए।

अधिकारों के दुरुपयोग से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए और कर्तव्य-पालन में जरा भी असावधान नहीं होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं है।

नागरिक अधिकार राज्य की ओर से स्वीकार किए जाते हैं या दिए जाते हैं। राज्य ही उन अधिकारों की रक्षा भी करता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को छीनना चाहे तो राज्य ऐसा नहीं करने देता। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी।

नागरिक को संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। वह उचित उपायों द्वारा धन, जमीन, मकान आदि संपत्ति जोड़

सकता है। यदि कोई उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाता है, या छीनता है, तो सरकार उसकी सुरक्षा करती है। इसी तरह जहां उचित उपायों द्वारा संपत्ति प्राप्त करना एक नागरिक का अधिकार है, वहीं दूसरे की संपत्ति को हानि न पहुंचाना उसका कर्तव्य भी है। इस तरह प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है।

अधिकार वास्तव में कर्तव्यों का ही फल है। जब मनुष्य अपने परिश्रम से कुछ पैदा करता है तभी उसका उसपर अधिकार होता है।

इसलिए जो एक मनुष्य का अधिकार है, वही दूसरे का कर्तव्य है। जब तक प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब तक कोई भी सुखपूर्वक अपने अधिकार का लाभ नहीं उठा सकता।

कर्तव्यों के धागे में ही अधिकारों के मनके पिरोए जाते हैं। इसलिए कर्तव्य और अधिकार साथ-साथ चलते हैं।

जो यह समझते हैं कि उनके अधिकार तो हैं किंतु कर्तव्यों से उनका कोई संबंध नहीं है, वे भूल में हैं। केवल अधिकारों की ही बात करने का यह परिणाम होगा कि न अधिकार और न कर्तव्य। क्योंकि बिना कर्तव्यों के अधिकार ठहर ही नहीं सकते। उस हालत में, 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली लोकोक्ति लागू हो जाएगी।

सड़क पर चलने का, साइकिल या मोटर गाड़ी चलाने का नागरिक अधिकार तभी तक चल सकता है जब तक यातायात के नियमों का पालन करना नागरिक अपना कर्तव्य समझे। सड़क के नियमों का पालन न करने पर दुर्घटनाओं का तांता लग जाएगा और किसीको भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं

मिलेगा। कोई भी निश्चित समय पर ठीक ठिकाने नहीं पहुंच सकेगा। यदि आप सड़क पर सवारी चलाने का अधिकार चाहते हैं तो सवारी की चाल उससे अधिक नहीं रखनी पड़ेगी, जितनी उस सड़क के लिए निश्चित है।

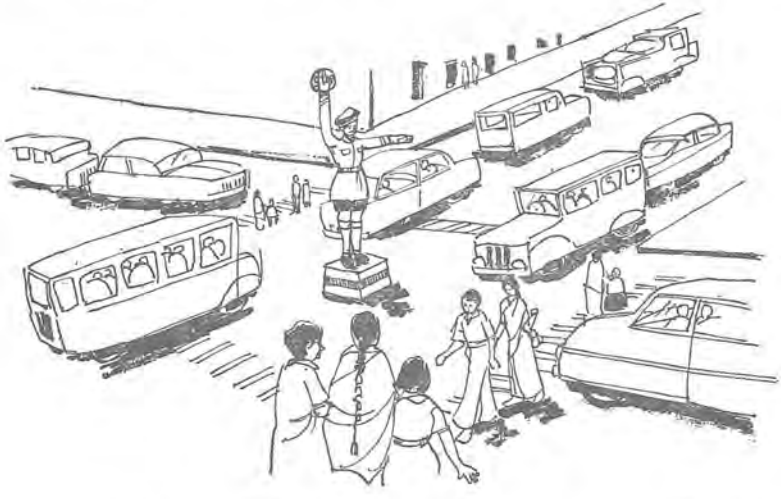

बाईं ओर चलने के नियम का भी पालन करना पड़ेगा और चौराहे पर खड़े सिपही या बत्तियों के संकेतों का भी पालन करना पड़ेगा। जहां पैदल चलने वालों के लिए पटरी है, वहां उन्हें पटरी पर ही चलना चाहिए।

सभी नागरिकों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारे अधिकारों की सीमा वहीं तक है, जहां तक दूसरे के अधिकारों की सीमा शुरू नहीं हो जाती। इसका साफ-साफ अर्थ यह है कि किसीके भी अधिकार असीम नहीं हैं। उनकी एक हद है। उस हद को लांघने का मतलब होगा—दूसरे के अधिकारों में दखल देना और यह दंडनीय अपराध है।

१. एक का अधिकार दूसरे के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ

है। मेरा अधिकार आपका कर्तव्य है और आपका अधिकार मेरा कर्तव्य है। एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

हमारे संविधान ने नागरिकों को समता का अधिकार दिया है। इसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग (स्त्री-पुरुष) के कारण कोई भेद-भाव सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। इस अधिकार के कारण छुआ-छूत का भेद मिटा दिया गया है। किसीको भी मंदिरों, होटलों और कुओं आदि पर जाने से रोका नहीं जा सकता।

अब सबका यह कर्तव्य हो जाता है कि 'समता के अधिकार' का सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह किसीको मंदिर, होटल या कुएं आदि पर जाने से न रोके। दूसरे के अधिकारों का मान करना मेरा परम कर्तव्य है।

२. राज्य की ओर से नागरिक को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं तो नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि वह उन अधिकारों का उपयोग जनता के हित के लिए करे। एक नागरिक के नाते मुझे वोट देने का अधिकार मिला है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उस वोट को केवल योग्य उम्मीदवार को दूं। मेरे निर्णय के पीछे केवल उम्मीदवार की योग्यता हो, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की तुच्छ भावनाएं नहीं।

३. यदि कोई मेरे अधिकारों को हानि पहुंचाता है, तो राज्य मेरे अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई चोर मेरी संपत्ति को चुराता है तो राज्य पुलिस द्वारा उस चोर को पकड़ने और न्यायालय से उसे उचित दंड दिलवाने का कार्य करता है।

मेरा भी यह कर्तव्य है कि राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करूं। राज्य द्वारा लागू टैक्सों का ईमानदारी से भुगतान करूं। चोरों, डाकुओं, हत्यारों और अन्य अपराधियों को पकड़ने में राज्य की सहायता करूं। मिलावट करने वाले, चोर-बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, कम तोलने वाले, गैरकानूनी धंधे करने वालों की शिकायत राज्य से करूं, ताकि उन्हें उचित दंड मिले और समाज-विरोधी शक्तियां कमजोर पड़ें। राज्य पर जब कभी कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करे, मैं तन-मन-धन से राज्य की सेवा में जुट जाऊं। राज्य की आन में अपनी शान समझूं।

नागरिकों के मौलिक अधिकार

राज्य मनमाने ढंग से काम न करे, इसलिए नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नागरिक इन अधिकारों को उपयोग करके अपनी उन्नति और समाज तथा देश की सेवा कर सकता है। ये अधिकार नागरिक के लिए इसलिए भी जरूरी हैं कि इनके बिना वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकार सात हैं :

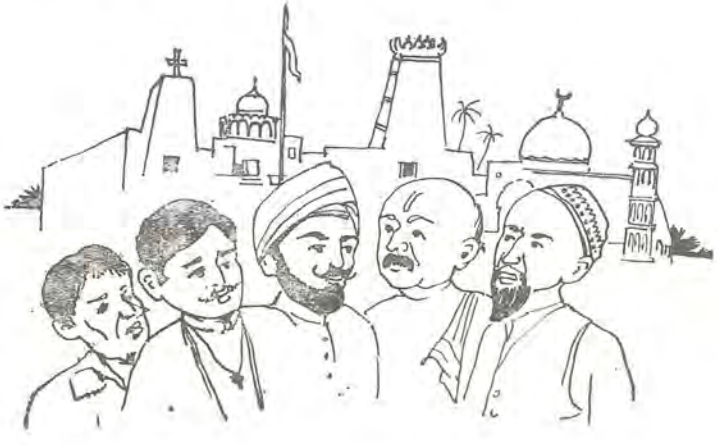

१. समता का अधिकार

कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। इसका अभिप्राय है कि सबके अधिकार बराबर हैं। धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण, लिंग, स्त्री या पुरुष के कारण सरकार की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिकार के द्वारा छुआ-छूत का भेद समाप्त हो गया है। इसके अनुसार किसीको भी मंदिरों में जाने, होटलों में खाने और कुओं आदि पर पानी भरने से रोका नहीं जा सकता। अब छोटी जाति और ऊंची जाति जैसी कोई बात नहीं रह गई है। अब हरिजन कहे जाने वाले भाइयों को न तो कोई मंदिरों में जाने से रोक सकता है और न कोई होटल वाला भोजन परोसने से इनकार कर सकता है। अब 'इस जाति वालों का यह कुआं और उस जाति वालों का वह कुआं' वाली बात नहीं रही। यह जाति-भेद की समाप्ति है।

हिंदू, मुसलमान या ईसाई—चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कानून की नजर में बराबर है।

कोई जैन हो, सिक्ख हो या आर्य समाजी – कानून की नजर में सब बराबर हैं।

स्त्री और पुरुष के अधिकारों में भी कानून की नजर में कोई भेद नहीं है। तभी तो अब बेटियों को भी बेटों की तरह से माता-पिता की संपत्ति में बराबर का भागीदार माना जाता है।

विदेशों में कई जगह अब भी काले-गोरे का भेद है। जब भारत पर गोरे अंग्रेजों का शासन था, तब यहां भी कई बातों में काले-गोरे में भेद-भाव किया जाता था। अब कानून की नजर में यह भेद भी समाप्त हो गया है।

२. स्वतंत्रता का अधिकार

(क) इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या जिस तरह चाहे प्रकट कर सकता है।

पर इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई किसीके विरुद्ध घृणा फैलाए, या किसी पर कीचड़ उछाले। दो धर्म-संप्रदायों या जातियों के बीच शत्रुता वाली बातें बोलने या लिखने या किसी और उपाय से प्रचार करने की स्वतंत्रता किसीको नहीं है।

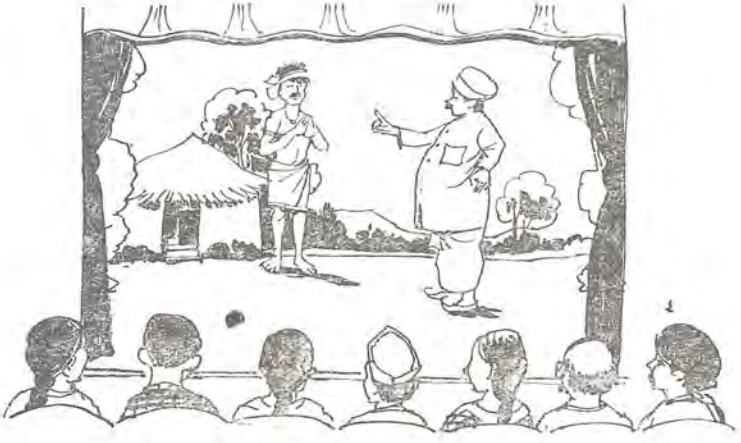

(ख) नागरिकों को शांतिपूर्वक, बिना हथियार लिए इकट्ठे होने, सभा करने और जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है।

(ग) नागरिकों को कोई संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है।

(घ) भारत में जहां चाहें आ-जा सकते हैं।

(ङ) भारत में जहां चाहें बसें या रहें।

(च) धन कमाने, उसे रखने, खर्चने और किसीको दे देने की प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है।

(छ) प्रत्येक नागरिक कोई भी पेशा अपना सकता है। वह व्यापार कर सकता है, कारखाना लगा सकता है, डाक्टर, वकील, अध्यापक या दुकानदार बन सकता है।

३. शोषण के विरुद्ध अधिकार

कोई भी किसीका शोषण नहीं कर सकता। इस अधिकार के कारण, कोई किसीसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। किसीकी मजबूरी का अनुचित लाभ उठाकर ऐसी जगह में, ऐसे समय में, और ऐसी हालत में काम नहीं करवाया

जा सकता—जिसमें काम करने वाले के जीवन को खतरा हो या उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाय। चौदह वर्ष से कम उमर के बच्चों को नौकर नहीं रखा जा सकता। आदमियों को पशुओं की तरह खरीदा-बेचा नहीं जा सकता।

४. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

इसके अनुसार नागरिक चाहे जिस किसी धर्म को मान सकता है और अपने धर्म के अनुसार पूजा-पाठ कर सकता है। धार्मिक संगठन भी बना सकता है। धर्म का प्रबंध, प्रचार भी कर सकता है। परंतु किसी भी नागरिक के पहले धर्म को उसकी इच्छा के बिना बदला नहीं जा सकता।

५. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

अपनी भाषा, लिपि और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए नागरिक स्वतंत्र है। राज्य की ओर से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं—विद्यालयों और महाविद्यालयों आदि में सभी को प्रवेश पाने का बराबर का अधिकार है।

६. संपत्ति का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को नकदी, सोना-चांदी जमीन-मकान आदि संपत्ति रखने का अधिकार है। वह अपनी संपत्ति बेच सकता है और संपत्ति खरीद भी सकता है। चाहे तो किसीको दे भी सकता है।

७. अधिकारों की रक्षा

संविधान द्वारा दिए गए इन मौलिक अधिकारों का यदि

सरकार या कोई और उल्लंघन करे तो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है।

(क) सरकार यदि किसी नागरिक को कैद कर ले और वह न्यायालय से प्रार्थना करे कि मुझे सरकार ने कानून का उल्लंघन करके कैद कर रखा है तो न्यायालय सरकार को आज्ञा दे सकता है कि कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। दोनों ओर की बात सुनने के बाद यदि न्यायालय समझे कि नागरिक को सरकार ने अनुचित रूप से कैद कर रखा है तो सरकार को कैदी को छोड़ने की आज्ञा दे सकता है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्य का पालन न कर रही हो तो न्यायालय उसे अपना कर्तव्य-पालन करने की आज्ञा दे सकता है।

(ग) यदि न्यायालय हद से बाहर जाकर काम कर रहा हो या कानून का पालन किए बिना काम कर रहा हो तो उससे बड़ा न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अनुचित ढंग से कोई बड़ा ओहदा पा लेता है तो भी न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय देकर उसे नीचे के ओहदे पर भेज सकता है।

मूल अधिकारों पर रोक

सामान्य परिस्थिति में अर्थात् शांति काल में नागरिक अपने इन अधिकारों का उपयोग और उपभोग कर सकता है। परंतु बाहरी या भीतरी संकट काल में या कुछ विशेष परिस्थितियों में इन अधिकारों पर सरकार रोक भी लगा सकती है। उस हालत में न्यायालय भी सरकार को ऐसा करने से नहीं रोक सकते।

कुछ और अधिकार

पिछले पृष्ठों में हमने देश के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों और उनकी रक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इन अधिकारों की मूल भावना के अंतर्गत हमारे कुछ और अधिकार भी हैं। जैसे :

राजनीतिक अधिकार और नैतिक अधिकार

राजनीतिक अधिकार केवल वयस्क, कम से कम इक्कीस साल की उम्र वाले नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं।

इक्कीस साल से कम उम्र वाले देशवासियों, विदेशियों, पागलों, दीवालियों और अपराधियों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

इन अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं :

मत देने का अधिकार

इसके अनुसार इक्कीस वर्ष के प्रत्येक नर-नारी को, बिना किसी प्रकार के भेदभाव के मत (वोट) देने का अधिकार है। इस अधिकार के द्वारा वह लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम या नगर पालिका के चुनावों में अपना मत दे सकता है।

चुने जाने का अधिकार

जैसे लोकतंत्र में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही चुनाव में किसी पद का उम्मीदवार बनने का अधिकार भी होता है। यह सब 'समता' के मौलिक अधिकार के अनुरूप ही है। हमारे संविधान में लोकसभा और

विधानसभा का उम्मीदवार बनने के लिए पच्चीस वर्ष की अवस्था निर्धारित है। कोई भी मतदाता जिसकी अवस्था पच्चीस वर्ष हो, साधारणतया उम्मीदवार हो सकता है।

पद धारण करने का अधिकार

इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री बनने का समान अधिकार है। धर्म, जाति, संपत्ति और स्त्री-पुरुष आदि भेद-भावों के कारण उसे किसी पद से वंचित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में केवल मुसलमान ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसी तरह इग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला अंग्रेज बादशाह नहीं बन सकता। इसी तरह अमेरिका में भी सभी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार

यदि किसी नागरिक को कोई कष्ट हो तो वह प्रार्थना-पत्र देकर सरकार का ध्यान उस ओर खींच सकता है। यह अधिकार हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है।

कानून के सामने समानता का अधिकार

इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। एक बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी को और एक भिखारी को कानून एक ही नजर से देखेगा। समान अपराध के लिए दोनों को बराबर का दंड मिलेगा।

पीछे जिन अधिकारों की हमने चर्चा की वे सब संविधान द्वारा स्वीकृत हैं। इन अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।

इनके अतिरिक्त संसार के सारे देशों की संस्था, 'संयुक्त राष्ट्र संघ' द्वारा भी मानव अधिकारों की घोषणा की गई है। 'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने निम्नलिखित अधिकारों को मान्यता दी है :

१. सभी मनुष्यों को रंग (काले-गोरे का भेद), भाषा, धर्म, स्थान, देश, धन और राजनीतिक विश्वासों के भेद-भावों के बिना समान अधिकार मिलने चाहिए।
२. संसार में दास-प्रथा का अंत होना चाहिए।
३. सभी मनुष्यों को जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए।
४. सभी मनुष्यों को अत्याचार, मानवताहीन अथवा अपमानजनक व्यवहार या दंड से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
५. सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं तथा वे समान गौरव के स्वामी हैं।
६. कानून की समान सुरक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए।
७. सभी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।
८. सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं।
९. बिना किसी जांच-पड़ताल के गिरफ्तार न करने अथवा देश से न निकलने की स्वतंत्रता।
१०. एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ट्रिब्यूनल द्वारा उचित सुनवाई का अधिकार।
११. सभी व्यक्तियों को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि उनका अपराध सिद्ध न हो जाए।
१२. घूमने-फिरने की स्वतंत्रता।
१३. राष्ट्रीयता का अधिकार।

१४. संपत्ति रखने का अधिकार ।
१५. चिंतन तथा धर्म की स्वतंत्रता ।
१६. विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ।
१७. आपस में मिलने-जुलने तथा सभा करने की स्वतंत्रता ।
१८. सरकार में भाग ले सकने का अधिकार तथा सरकारी नौकरियों में बराबर का अधिकार ।
१९. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार ।
२०. काम करने का अधिकार ।
२१. विश्राम करने का अधिकार ।
२२. शिक्षा का अधिकार तथा समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार ।
२३. संस्थाएं बनाने का अधिकार ।

२४. सरकार में भाग लेने का अधिकार।

२५. सार्वजनिक सेवाओं में सबको बराबर पहुंच का अधिकार।

१० दिसम्बर, १९४८ ई० को संसार की सबसे बड़ी संस्था 'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने इन मानव-अधिकारों की घोषणा की थी। यह घोषणा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि जिन देशों में ये मानव-अधिकार लागू नहीं हैं, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ इनको लागू करवाने का प्रयत्न करता है। इन अधिकारों का उद्देश्य यह है कि संसार के सभी मानवों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों और सभी का जीवन सुखी बने। यही कारण है कि प्रतिवर्ष १० दिसंबर का दिन सारे संसार में 'मानव अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

नागरिकों के कर्तव्य

कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है, जिन्हें करने के लिए व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा मिलती है। हां, जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं।

१. नैतिक कर्तव्य और

२. कानूनी कर्तव्य

नैतिक कर्त्तव्य उन कार्यों को कहा जाता है, जिन्हें कोई व्यक्ति केवल बाहरी दबाव से ही नहीं करता, बल्कि उसके मन में उन कामों को करने की बड़ी इच्छा होती है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसकी आत्मा उसको धिक्कारती है। आत्मा के इस

धिक्कारने को ही 'ग्लानि' कहते हैं। नैतिक कर्तव्यों का पालन न करने से कानून द्वारा तो कभी कोई दंड नहीं मिलता किंतु समाज में व्यक्ति का सम्मान घटता है। यदि समाज को पता न भी लगे तो आदमी का मन ही उसे कचोटता रहता है कि "देखो, तुमने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया।"

नैतिक कर्तव्य प्रायः ऐसे काम होते हैं, जिन्हें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के करता है। वह उनके बदले में कुछ चाहता नहीं।

जिस समय हम सुख या दुख की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों के पालन में लग जाते हैं, सच्चा सुख हमें उसी समय मिलता है।

एक विद्वान् ने मनुष्य और पशु में भेद करते हुए कहा कि मनुष्य में भले और बुरे के ज्ञान के लिए उसकी बुद्धि उसे सचेत रखती है। यह इसके द्वारा अपने कर्तव्यों को समझता है और अपने बुरे कामों के लिए पश्चात्ताप करता है।

सुकरात का कहना है कि सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसके नैतिक कर्तव्य बतला सके और उन्हें पालन करने की प्रेरणा दे।

आज संसार में हम जिन्हें 'महापुरुष' कहते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कष्ट झेलकर अपने कर्तव्यों का पालन किया।

यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने माता-पिता की सेवा और सम्मान करें। भाई-बहनों से प्रेम करें और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सहायता करें।

कर्तव्यों का क्षेत्र भी उतना ही विशाल है, जितना अधिकारों का। कर्तव्यों की सूची नहीं बनाई जा सकती। समय और स्थान के अनुसार हमें अपनी बुद्धि से अपने कर्तव्य का

निश्चय करना चाहिए और फिर दृढ़ता के साथ उसका पालन करना चाहिए ।

प्रत्येक अधिकार के साथ भी कर्तव्य जुड़ा रहता है । अधिकार की मांग करने से पहले, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ।

नैतिक कर्त्तव्यों की एक संक्षिप्त-सी रूपरेखा हम बनाना चाहें तो यों बना सकते हैं :

१. अपने प्रति कर्तव्य :

मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने को शिक्षित करे । अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और अपने को चरित्र-वान् बनाए । एक शिक्षित, स्वस्थ और चरित्रवान् व्यक्ति ही किसीकी कुछ सहायता और सेवा कर सकता है । परिवार की, समाज की, देश की और मनुष्य-मात्र की सेवा करने के लिए भी पहले अपने-आपको ठीक रखना आवश्यक है । गंदे झाड़ू से कभी भी सफाई का काम नहीं हो सकता । व्यक्ति शिक्षित भी हो और स्वस्थ भी परंतु सदाचारी न हो तो किस काम का !

हमारे देश में इस समय मुख्य रूप से सदाचार का ही संकट है । या कहना चाहिए कि कर्तव्य-पालन का ही संकट है । यदि सभी लोग अधिकारों की रट लगाना छोड़कर कर्तव्य पालन में लग जाएं तो हमारा देश स्वर्ग बन जाए ।

किसीने कहा है :

'धन गया, तो कुछ नहीं गया । स्वास्थ्य गया, तो कुछ गया । सदाचार गया, तो सब कुछ गया ।'

इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने-आपको सुधारना-संवारना चाहिए । जिस समाज में व्यक्ति सदाचारी होंगे, वह

समाज भी सदाचारी होगा। समाज तो व्यक्तियों से ही बनता है।

२. परिवार के प्रति कर्तव्य :

हम जिस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार के हम से बड़े सब लोगों ने हमें प्यार-दुलार दिया, पाल-पोसकर बड़ा किया। सिखाया-समझाया। उनके उपकार को भला कोई भूल सकता है !

माता कितने-कितने कष्ट झेलकर बच्चे को पालती और सुखी रखने का प्रयत्न करती है। अपनी छाती का रस पिलाकर अपने मुन्ने का, बिटिया का पेट भरती है। ऐसी ममतामयी मां के

प्रति, त्यागशील पिता के प्रति, स्नेहशील दादा-दादी के प्रति, ताऊ-ताई के प्रति, चाचा-चाची के प्रति, बहन-भाई के प्रति हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। आज बुढ़ापे के कारण माता

जी से काम नहीं होता । फिर भी वे आराम से कहां बैठती हैं, छोटा-मोटा कुछ न कुछ करती ही रहती हैं । पिता जी, जो कभी सारे घर को संभालते थे, अब कमजोर हो गए हैं । उन्हें आराम की जरूरत है । बुढ़ापे में सभी को आराम की जरूरत होती है । जैसे दिन-भर की भाग-दौड़ से शाम तक आदमी थक जाता है । वैसे ही बुढ़ापा भी जीवन की शाम ही तो है । बचपन की उछल-कूद और जवानी के जोश के बाद, शांत-गंभीर बुढ़ापा आता है और यह आता है तो फिर जाता नहीं । बुढ़ापे में शरीर भले ही दुर्बल हो जाए, लंबे अनुभव के कारण समझ तो खूब बढ़ जाती है । इसलिए बड़े-बूढ़ों से सलाह करके काम करेंगे तो उनके अनुभव का लाभ मिलेगा । उनकी कोई बात समझ में न आए, मानने-योग्य न हो तो भी उनका मान-सम्मान तो करना ही चाहिए । आप अपनी बात उन्हें समझाइए और बतलाइए कि उनकी बात मानने से क्या कठिनाई पैदा होगी या क्या हानि होगी । वे समझाने पर जरूर समझ जाएंगे । न भी समझें तो भी कोई बात नहीं । यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब-कुछ मालूम है और इन्हें पूछ कर क्या करें । चाहे आपकी बात ठीक ही हो, तो भी उनका मन रखने के लिए पूछ लीजिए । बड़ी उम्र के लोग अपने छोटों से यह तो उम्मीद करते ही हैं कि वे उनका उचित सम्मान करें—उन्हें बेकार और बोझ न समझें ।

यह आपके ही हित में है कि आप उनकी देख-भाल करें, सेवा करें और आदर के साथ करें ।

मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं । कई लोग बुढ़ापे में झक्की स्वभाव के हो जाते हैं । बुढ़ापे के कारण बाकी सारी इन्द्रियां तो शिथिल पड़ जाती हैं पर जबान पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगती है । बूढ़े लोग

बैठे-बैठे हर किसीको कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तुमने यह नहीं किया, तुमने वह नहीं किया, यह चीज खराब हो रही है, वह काम बिगड़ रहा है। हमारा जमाना था तो हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। आजकल के जवान तो किसी काम के नहीं हैं आदि-आदि।

कुछ न कुछ बोलते रहने का यह रोग आपके समझाने-बुझाने से जाने वाला नहीं है। इसका कारण है बुढ़ापा। बुढ़ापे में नया नहीं सीखा जा सकता। बस, आदमी अपने जीवन की पुरानी बातों को दोहराता रहता है, याद करता रहता है। उसका भविष्य तो कुछ होता नहीं, इसलिए वह भूतकाल की यादों से चिपटा रहता है। 'हमने यह किया, हमने वह किया, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे।' ये लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें बुरा-भला मत कहिए। मत कहिए बुड्ढा-बुढ़िया दिन-भर बक-झक करते रहते हैं। यों भी मत कहिए कि आपका जमाना बीत गया, अब हमारे कामों में दखल मत दीजिए। आप खाइए और पड़े रहिए।

बुजुर्ग आदमी सोचता है, मुझे इन्होंने ड्योढ़ी का कुत्ता समझ रखा है, जिसे टुकड़ा देना ही काफी है। यह तो उनका अपमान है। उन्हें लगता है कि हमें बोझ समझा जाता है। कोई हमारी बात मानता-सुनता नहीं। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा!

जिस आदमी ने तीस-चालीस वर्ष घर-गृहस्थी को संभाला हो, जो परिवार का एक छत्र राजा रहा हो, जिसकी बात टालने की किसीने हिम्मत न की हो, वही आज उन घर के लोगों को फालतू की चीज लगता है, जिनके लिए उसने अपना खून-पसीना एक कर दिया।

इसलिए आप ही थोड़ी समझदारी से काम लीजिए और

उन्हें यह अनुभव मत होने दीजिए कि उनकी घर में अब कोई जरूरत नहीं है। वे फालतू का कूड़ा-कबाड़ हैं, जिसने घर की जगह घेर रखी है और घर को गंदा बना रखा है। यह इसलिए भी जरूरी है कि कल को, उनको भी बुढ़ापा आ घेरेगा, जो आज जवान हैं।

हमारे घरों की दुखःदायी घटना यह है कि सास-बहू में न यह कि कभी बनती नहीं, बल्कि हर घड़ी ठनती रहती है।

सास बहू को बुरा बताएगी और बहू सास को। यह जो आज सास है, कभी बहू भी तो थी। तब अपनी सास की शिकायत करती थी। आज सास बन गई तो बहू की शिकायत करती है। जो आज बहू है, वह भी कल सास बनेगी, तब वह भी बहू की शिकायत करेगी। यह एक ऐसा सिलसिला है, जो कभी टूटता नहीं।

अगर आज की सास सोचे कि कल जब वह बहू थी तो सास

का जो व्यवहार उसे बुरा लगता था, वैसी बातें वह आज अपनी बहू से न करे। पर हमने दो तरह के बाट रख रखे हैं। लेने के लिए और देने के लिए और।

और देखिए। ये जो सासें हैं, जिन्होंने बेटी को ब्याह दिया और बेटे को ब्याह लिया, इन्हें आप कहते सुनेंगे कि मेरी बेटी की सास बड़ी खराब है और बहू किसी काम की नहीं है। ये चाहती हैं कि उनकी लाड़ली बिटिया तो ससुराल में कम रहे और उनके पास ज्यादा। और बहू को उसके मायके वाले कभी न बुलाएं। बहू के लिए कहा जाएगा कि यह तीसरे दिन मायके जाने का ढंग उचित नहीं है और उनकी लाडली बिटिया जब-जब ससुराल से आती है, दुबली होकर आती है। सास तो काम को हाथ लगाती ही नहीं। बेचारी सुबह से शाम तक अकेली खटती रहती है। तिस पर झिड़कें और मिलती हैं—'मेरी बिटिया तो निरी गाय है और ऐसी बेजबान गाय जो बिना सींग-पूंछ की है। सींग वाली गाय तो दुखी करने वाले को सींग मार सकती हैं, पूंछ से मक्खी-मच्छर उड़ा सकती है पर यह तो बेचारी चूं भी नहीं करती। बड़ी जालिम सास मिली है मेरी बिटिया को। पहले पता होता तो कुंए में धकेल देती पर उस घर में न ब्याहती। और फिर हमने दहेज में इतना कुछ दिया, पर उनके किसी लेखे नहीं। मेरी गुणवंती बिटिया कसाइयों के हाथ लग गई।'

इस तरह सास अपनी शिकायत जारी रखती है—

'और हमारा भाग्य देखो बहन! बहू मिली ऐसी कि बिल्कुल गोबर। कुछ जानती-बूझती भी तो नहीं। उस दिन सब्जी में इतना नमक डाल दिया कि किसीसे एक कौर भी न खाई गई। जरा-सा काम करने के बाद कहती है, 'मैं तो थक गई'। देखो

बहन ! हमारे घर में काम ही कितना है । जब देखो तब मायके की बड़ाई करती रहती है । कहती है, हमारी मां तो हमें कुछ करने ही नहीं देती थी । तभी तो कुछ आता-जाता नहीं । बहू-बेटी को घर-गृहस्थी की संभाल भी न आए तो फिर वह किस काम की । तुम जानो, ससुराल में तो काम करना ही पड़ता है । नहीं तो मां-बाप साथ एक नौकरानी भेज देते । मैंने सदा का ठेका थोड़े ही ले रखा है, जो मैं ही मरती-खपती रहूं । और जबान देखो तो कैंची की तरह । मजाल कोई बात सुनकर चुप रह जाए । और तो और, मेरे बेटे को भी बिगाड़ रही है । उसके कान भरती रहती है । जिन बेटों को मांएं बीस-पच्चीस वर्ष सिखाती-पढ़ाती हैं, उन्हें ये जादूगरनियां दो दिन में अपने बस में कर लेती हैं और जैसा चाहती हैं, वैसा नचाती हैं । बहन ! बहुत बुरा जमाना आ गया । इस जमाने को आग लगे । हमारे जमाने में दिन में मर्द से कोई बात तक नहीं करती थीं । अब तो शर्म-हया कुछ रही ही नहीं ।'

यह है सास-बहू के संबंधों की कहानी, जिसने हमारे घरों को नरक बना रखा है । एक कहानी याद आ रही है । एक स्त्री अपनी बुढ़िया सास और ससुर को बहुत दुखी रखती थी । वे बेचारे बहुत ही दुर्बल हो गए थे और कुछ भी करने में अशक्त थे । वे एकदम परवश थे । उनकी बहू ने उनके लिए अलूमीनियम के टूटे-फूटे बर्तन खाना परोसने के लिए रख रखे थे । वे जब चल बसे और बहू उन बर्तनों को फेंकने लगी तो उसके बेटे ने जो अभी बालक ही था, मां को बर्तन फेंकने से रोका । मां ने जब रोकने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि आप और पिताजी जब बूढ़े हो जाएंगे, उस समय ये बर्तन आपके काम आयेंगे ।

जैसा व्यवहार हम अपने बड़े-बूढ़ों से करेंगे, हमें भी बुढ़ापे में वैसा ही व्यवहार पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 'इस हाथ दे, उस हाथ ले' वाली बात है।

इसीलिए तो बड़ों का कहना है कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही दूसरों से भी करें।

एक मजदूर से किसीने पूछा "तुम्हें क्या दिहाड़ी मिलती है ?"

वह बोला—"छः रुपए।"

"उन्हें तुम कैसे खर्च करते हो ?" उस आदमी ने पूछा।

किसान बोला—"दो रुपए पिछला कर्ज चुकाने में खर्च करता हूं। दो रुपए रोज का घर-गिरस्ती का खर्चा। बाकी बचे दो रुपए, उन्हें भविष्य के लिए जमा करता हूं।"

पूछने वाले ने फिर पूछा, "जरा बात को समझाकर बताओ।"

मजदूर बोला, "मेरे माता-पिता का मेरे ऊपर बहुत ऋण है। उनके बहुत उपकार हैं। इसलिए दो रुपए उनपर खर्च करता हूं। इसे मैं पिछला कर्ज चुकाना कहता हूं। दो रुपए घर की रोज की जरूरत में खर्च हो जाते हैं। बाकी बचे दो रुपए। उन्हें मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूं। इसे मैं भविष्य के लिए जमा करना कहता हूं। यह इसलिए कि कल को जब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो जाऊंगा तो ये बच्चे जवान हो चुके होंगे और कमाते होंगे। तब ये उसी तरह हमारी देख-भाल करेंगे जैसे आज हम अपने माता-पिता की कर रहे हैं।"

पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होतीं। परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई भाई, हो सकता है किन्हीं कारणों से आपकी अपेक्षा कम कमाता हो, इसका कोई भी कारण हो सकता है, शारीरिक, मानसिक या अवसर या भाग्य की कमी। इकट्ठे

परिवार में तो सब निभ सकते हैं, नर्म-गर्म सब चल जाता है। परंतु अगर उसे अलग कर दिया जाए, वह अकेला पड़ जाए तो उसे कठिनाई भी हो सकती है। अगर हम घर में, अपने ही सगे-संबंधी को नहीं निभा सके, उसी की सहायता नहीं कर सके तो औरों की क्या करेंगे ! और सोचने का ठीक तरीका तो यह है कि आप उसकी जगह अपने को रखकर देखें। और आपकी हालत सब भाइयों में कमज़ोर होती तो आप क्या सोचते !

परिवार में बूढ़ों और बच्चों की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि दोनों ही परवश होते हैं। बड़े-बूढ़ों की सेवा, टहल और खान-पान का ध्यान रखना जरूरी होता है। एक जमाना था, जब गांव में विद्यालय दूर-दूर होते थे। आज वह बात नहीं रही। किसी कारण यदि आप ज्यादा नहीं पढ़ सके, और इस कमी के कारण कदम-कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उस कसर को निकाल सकते हैं।

एक बात और। पढ़ाने के मामले में लड़के और लड़की में भेद मत करना। लड़की पढ़ी, कुनबा पढ़ा। और अब तो पढ़े-लिखे बिना किसीका भी गुजर नहीं। अब आप लड़की के लिए घर खोजेंगे तो पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि लड़की कुछ पढ़ी-लिखी भी है या नहीं ?

लड़कियों को घर-गिरस्ती का काम तो आना ही चाहिए।

खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, सीना-पिरोना और कढ़ाई-बुनाई। पढ़ी-लिखी लड़की हर बात जल्दी समझती-सीखती है।

३. गांव, नगर और प्रदेश के प्रति कर्तव्य

जिस प्रकार परिवार के लोगों के लिए हम त्याग-तपस्या करते हैं, उसी प्रकार हमें पास-पड़ोस और गांव के लोगों के लिए भी करनी चाहिए। यह एक तरह से उसी तरह का सामाजिक व्यवहार है, जैसाकि ब्याह आदि में लेन-देन का होता है। उसने हमारी लड़की की शादी में जो दिया था, हम भी उसकी लड़की की शादी में वही देंगे। ये काम हमें अपने लाभ के लिए अवश्य करने चाहिए। आज हम जिसके काम आएंगे,

कल वह भी हमारे काम आएगा। गली-मुहल्ले की सफाई, गांव की सफाई, आपसी सहयोग और दुःख-संकट में एक-दूसरे की सहायता करना बहुत जरूरी है।

मुख्य बात यह है कि गली-मुहल्ले को, गांव या नगर को हम अपना समझें।

कहीं भी थूक दिया, कहीं भी पेशाब कर दिया, फल खाए और छिलके भरे बाजार में फेंक दिए, घर का कूड़ा उठाया और दरवाजे के बाहर फेक दिया—ये सब खराब आदतें हैं। इन्हें छोड़ना चाहिए।

गांव के लोग यदि गांव की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे और जगह-जगह गंदगी फैलाएंगे, तो दूसरा कौन रखेगा! मक्खी-मच्छर बढ़ेंगे, बीमारी फैलेगी। कुएं की, जलाशय की सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो पानी गंदा हो जाएगा। सबके पेट खराब होंगे, हैजा, पीलिया, मियादी बुखार जैसे रोगों के फैलने का खतरा बना रहेगा।

पंचायत के चुनाव में या नगर पालिका के चुनाव में अच्छे सेवा करनेवाले लोगों को चुनकर नहीं भेजेंगे तो यह गंदगी भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। इसी तरह विधान सभा में भी जब तक योग्य और ईमानदार लोग चुनकर नहीं जाएंगे प्रदेश को उन्नति नहीं होगी।

हमारी उन्नति प्रदेश की उन्नति से, जिले की उन्नति से,

नगर पालिका की उन्नति से और गांव-मुहल्ले की उन्नति से जुड़ी हुई है।

४. राज्य के प्रति कर्तव्य :

राज्य के प्रति नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह राज्य की आज्ञाओं का पालन करे और देश-भक्त बने। सभी सरकारी कानून-कायदों को पूरी तरह अपना कर्तव्य समझ कर पालन करना और देश के संविधान का सम्मान करना अच्छे नागरिकों का कर्तव्य है। जो कोई भी सरकारी कानून की अवहेलना करेगा या सरकारी कानून को तोड़ेगा, उसे भारतीय दंड-संहिता के अनुसार दण्ड भुगतना होगा। कभी-कभी यह पढ़ने को मिलता है कि संविधान या झंडे का कुछ लोगों ने अपमान किया। कभी-कभी दूसरे देश की जय बोलने की खबरें भी आती हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, वे देश-भक्त नागरिक तो हैं ही नहीं, उल्टे देश-द्रोही हैं। भारत के किसी भाग को समूचे देश से अलग करने की बात कहना घोर दंडनीय अपराध है। हमारे देश का शासन संविधान द्वारा बताए ढंग से ही चलता है। इसलिए संविधान का स्थान सबसे ऊंचा है।

देश की रक्षा :

देश की रक्षा करना नागरिक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। देश की सीमाओं का कोई देश उल्लंघन न करे, कोई हमारे

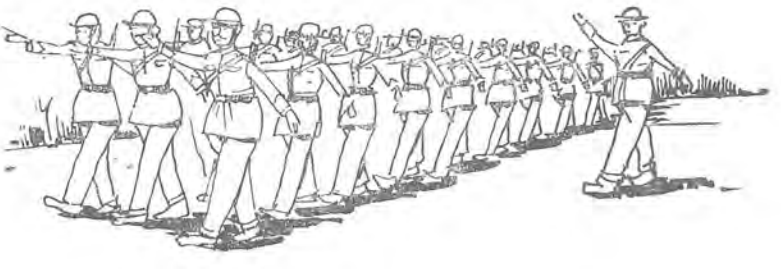

देश के किसी भाग को हड़पना चाहे या हम पर आक्रमण करे तो उसको मुंह-तोड़ जवाब देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह नहीं समझना चाहिए कि यह तो केवल सेनाओं की जिम्मेदारी है। युद्ध के समय सेनाओं को जिन अनेक चीजों की जरूरत होती है, वे कारखानों में बनती हैं, अन्न किसान उपजाते हैं, कारखानों को कामगर चलाते हैं। इसलिए जिस देश के नागरिक देश-भक्त होते हैं और सभी मोर्चों पर कंधे से कंधा भिड़ाकर काम करते हैं, वे ही देश विजयी होते हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारखानेदार और चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक सबका कर्तव्य है कि अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करे। तभी युद्ध जीते जाते हैं और तभी देश फूलते-फलते हैं। देश के सम्मान में ही नागरिक का मान होता है।

करों (टैक्सों) का पूरा भुगतान :

सरकार द्वारा निर्धारित करों को ईमानदारी से सरकार को देना नागरिकों का तीसरा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। यदि नागरिक सही तौर पर टैक्स न दें तो सरकार के कामों के लिए रुपया कहां से आए! सरकार उस रुपए से ही जनता के कल्याण के के लिए योजनाएं बनाती है। फौजों-सहित सरकारी कर्मचारियों का वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन-कल्याण के सारे कार्य उसी रुपए से चलते हैं जो टैक्सों के रूप में सरकारी खजाने में जमा होता है। इसलिए बिक्री-आमदनी आदि का ठीक हिसाब रखना चाहिए। जो लोग टैक्सों की चोरी करते हैं उन्हें दंड तो भुगतना ही पड़ता है, वे समाज में अपमानित भी होते हैं।

टैक्सों की चोरी करनेवालों को, कम दी गई रकम का

कई गुना तो जुर्माना देना पड़ता है और जेल के सीखचों में बद होना पड़ता है, वह अलग। स्वार्थ की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह बड़े घाटे का सौदा है। पर चोर सदा यही सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है।

मताधिकार का सही उपयोग :

मत देने के अधिकार का ठीक उपयोग करना नागरिक का चौथा कर्तव्य है। पंचायतों, नगर पालिकाओं, विधान सभाओं और लोकसभा के लिए मत देते समय योग्य प्रतिनिधि को और जनता की सेवा करनेवाली पार्टी को ही जिताना चाहिए। वोट देते समय जात-बिरादरी को महत्त्व नहीं देना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा :

हमारे देश में यह कानून लागू हो गया है कि छोटे बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना पड़ेगा।

छोटे बच्चों को स्कूलों में कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अब किसीको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई के लाभ सभी को मालूम हैं। अब वे लोग भी

पढ़ना-लिखना सीख रहे हैं, जिन्हें किसी वजह से बचपन में पढ़ने-लिखने का मौका नहीं मिला। सरकार तो चाहती है कि देश-भर में छोटा-बड़ा कोई अनपढ़ न रहे। तभी तो बड़ी उमर वालों को पढ़ाने के लिए भी रात्रि-विद्यालय और समाज-शिक्षा विद्यालय खोले गए हैं, और भी खोले जा रहे हैं। आनेवाले पांच सालों में सरकार ३५ वर्ष तक के सभी लोगों को पढ़ा देना चाहती है।

सामाजिक भावना :

अच्छे नागरिक निजी स्वार्थ को पीछे छोड़ करके सबकी भलाई के कामों में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। वे सार्वजनिक संपत्ति को पराई नहीं समझते और उसे कभी हानि नहीं पहुंचाते। वे बिना टिकट यात्रा नहीं करते, रिश्वत लेना-देना बुरा समझते हैं। अपराधियों को उचित दंड दिलवाने में सहयोग देते हैं। बुराई का विरोध करते हैं और अच्छाई की प्रशंसा। वे सद्‌गुणों का मान करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं।

मानव-मात्र के प्रति कर्तव्य :

भारतीय संस्कृति मानती है कि मनुष्य-मात्र में ही नहीं, प्राणि-मात्र में एक जैसी आत्मा है। इसलिए ईश्वर का बनाया हुआ संसार, सारे देश और उनके निवासी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान होने से हमारे भाई हैं। जैसे हम अपने देश से प्रेम करते हैं, वे भी अपने देश से प्रेम करते हैं। अपने देश से प्रेम करना सबके लिए जरूरी है। अपने देश से प्रेम करते हुए भी हम संसार-भर के मनुष्यों से भाई-चारा रख सकते हैं। हमारी सरकार अपने पड़ोसी देशों और सभी देशों से अच्छे

संबंध बनाने का प्रयत्न कर रही है। देश भी सूखा, भूचाल, बाढ़-तूफान आदि के समय एक-दूसरे की सहायता करते हैं। जो धनी देश हैं, वे पिछड़े देशों की सहायता करते हैं।

संसार-भर के देशों की संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। यदि किन्हीं देशों में कोई विवाद होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसे सुलझाने का प्रयत्न करता है। उसे बड़ी पंचायत ही समझना चाहिए। सारे देशों में और सारे मनुष्यों में प्रेमभाव होना ही चाहिए।

प्राणि-मात्र के प्रति कर्तव्य :

इसी तरह हमें अन्य प्राणियों—पशु-पक्षियों के साथ भी दया का बर्ताव करना चाहिए। वे हमारे पालतू हों या जंगली। हमें वृक्षों को भी अपने ही लाभ के लिए काटना बंद करना चाहिए और नये वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षों से वर्षा होने, वायु शुद्ध होने और भूमि का कटाव न होने में सहायता मिलती है। इनसे बाढ़ को, सूखे को और रेगिस्तान को रोकने में भी सहायता मिलती है। धरती पर रहनेवाले मनुष्य, पशु और पक्षी सबका जीवन वृक्ष के ही सहारे चलता है।

अधिकारों और कर्तव्यों में संबंध

अधिकारों और कर्तव्यों में बड़ा गहरा आपसी सम्बन्ध है। ये जुड़वां भाइयों जैसे हैं। एकसाथ ही रहते हैं।

नागरिकों को अधिकार मिले हैं तो उनके बदले उन्हें कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। आप जानते ही हैं कि मूल्य दिए बिना कभी कोई चीज नहीं मिलती। अपने खेत में फसल उगाने के लिए यदि कोई परिश्रम न करे तो क्या फसल मिलेगी ? इसे

यों भी कह सकते हैं कि हम जो कुछ बोते हैं, वही काटना होता है। वही हमें मिलता है। उसी पर हमारा अधिकार होता है। पहले जोतने-बोने आदि कर्तव्यों का पालन करने पर फसल काटने का अधिकार मिलता है। दिन-भर काम करने पर ही शाम को मजदूरी मिलती है।

सरकार की ओर से अधिकार मिलते हैं तो सरकार के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। देश के कानूनों का पालन करना पड़ता है। टैक्स चुकाने पड़ते हैं। अच्छी, स्थायी और दृढ़ सरकार बनाने के लिए भी नागरिकों को समझदारी से काम लेना होता है। तभी उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। जल-थल-नभ सेनाओं में नागरिक जाते हैं तभी देश की शत्रुओं से रक्षा होती है।

सच तो यह है कि हर अधिकार के साथ कोई न कोई कर्तव्य जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, आप बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार को ही लें।

हम इस अधिकार का उपयोग तभी कर सकते हैं, जब दूसरे हमारी बात से सहमत न होते हुए भी हमारी बात सुनते रहें। और जब हम दूसरों से यह चाहते हैं तो जब दूसरे बोल रहे हों तो हमें भी धैर्य के साथ उनकी बात सुननी ही चाहिए। चाहे हम उनकी बात से सहमत हों या नहीं।

अच्छा नागरिक स्वयं तो अपने कर्तव्यों का पालन करता ही है, दूसरों को भी कर्तव्य पालने में प्रेरणा और सहायता देता है।

हम अपने पुरखों के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि जब लोग कर्तव्य-पालन पर जोर देते हैं तो 'रामराज्य' आता है और जब अधिकारों पर जोर देते हैं तो 'महाभारत' होता है।

'रामायण' में श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी अपने-अपने कर्तव्य-पालन में तत्पर हैं।

महाभारत में दुर्योधन-दुःशासन-शकुनि सभी अधिकारों का शोर मचाते हैं। परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध होता है।

यदि हम सारे देशवासियों को एक बड़े परिवार के रूप में देखें तो हमें पूरी बात समझने में आसानी होगी। परिवार के लोग एक-दूसरे की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति खेती-बाड़ी का काम देखता है तो कोई कारखाने में नौकरी करता है। कोई पशुओं को संभालता है तो कोई चौके-चूल्हे के काम को। कोई बुढ़िया घर के भीतर हल्के-फुल्के काम करती है तो युवती खेत में खाद पहुंचाने, ढेले तोड़ने, गोबर उठाने जैसे ताकत के भरोसे होनेवाले काम करती है। कोई बीमार हो जाता है तो दूसरे उसकी सेवा करते हैं। जो बाहर कमाता है, वह हर महीने घर को रुपए भेजता है।

घर सभी का है। सब घर का खयाल रखें, मिल-जुलकर रहें, घर के मुखिया की बात मानें तो घर स्वर्ग बन जाता है। कोई शत्रु ऐसे परिवार की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता।

हमारे संत-महात्माओं ने हमें समझाया है कि 'जो-जो बातें तुम्हें अपने लिए अच्छी नहीं लगतीं, वे-वे बातें तुम दूसरों के साथ भी मत करो।' यह एक ऐसी कुंजी है जो सभी समस्याओं को हल कर देती है।

मैं चाहता हूं समाज में मेरा सम्मान हो तो मुझे भी समाज के सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। यदि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे झूठ बोले और धोखा दे, तो मुझे भी किसीसे झूठ

नहीं बोलना चाहिए और किसीको धोखा नहीं देना चाहिए।

हमें अपने सभी कार्यों और व्यवहारों को इस कसौटी पर कसकर देखना-परखना चाहिए।

इस तरह परिवार में, पास-पड़ोस में, सभा-समाज में हम जहां भी रहेंगे, सभी हमें चाहेंगे, हमारा सम्मान करेंगे।

अंत में, नीचे कुछ मुख्य नियम दिये जा रहे हैं, जिनका सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए :

१. आपसी मतभेदों को भूलकर, देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए सभी को एक हो जाना चाहिए और समाज-कल्याण कार्यों में पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिए।

२. देश की एकता और भलाई को सबसे अधिक महत्त्व देना चाहिए। जाति, संप्रदाय, भाषा और प्रदेश के भेद को भुलाकर, सारे देश और देशवासियों की बात सोचनी चाहिए।

३. सभी तरह की हिंसा बंद होनी चाहिए। इससे शत्रुता बढ़ती है, घृणा बढ़ती है।

४. सच्चा धर्म व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा उठाता है और सहनशील बनाता है। यदि कोई छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ता है और ूसरे के मत को सहन नहीं करता है तो इससे उसके धर्म का सम्मान घटता हो है, बढ़ता नहीं। हमें जहां अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, वहां दूसरे के धर्म का भी मान करना चाहिए।

५. छुआछूत और ऊंच-नीच के भेद को भूलकर सबसे समानता का व्यवहार करना चाहिए।

६. सामूहिक हित के कार्यों को महत्त्व देते हुए, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए।

७ नशा बंदी लागू करने में प्रत्येक नागरिक को सहयोग देना चाहिए। अपने आप नशीली चीजों का सेवन न करना ही सबसे बड़ा सहयोग है।

८. खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट, नकली दवाइयां और सामान बनानेवालों को पकड़वाने में सहायता करनी चाहिए।

९. रिश्वत लेना और देना—दोनों भ्रष्टाचार हैं। इसे रोकना चाहिए।

१०. बालकों के स्वास्थ्य और पढ़ाई-लिखाई की ओर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाने-लिखाने में लड़के-लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए।

११. घर, गली-मुहल्ला, गांव-नगर सबको साफ़-सुथरा रखना चाहिए।

१२. श्रम करनेवालों का सम्मान करना चाहिए और स्वयं भी श्रम करना चाहिए।

१३. दहेज मांगना बहुत बड़ी बुराई है। इससे बचना चाहिए।

१४. सरकारी टैक्सों की चोरी, बिना टिकट यात्रा, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, अच्छे नागरिकों का काम नहीं है।

१५. देश के झंडे, देश के संविधान और देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। देश में बनी चीजें ही प्रयोग करनी चाहिए।

□□